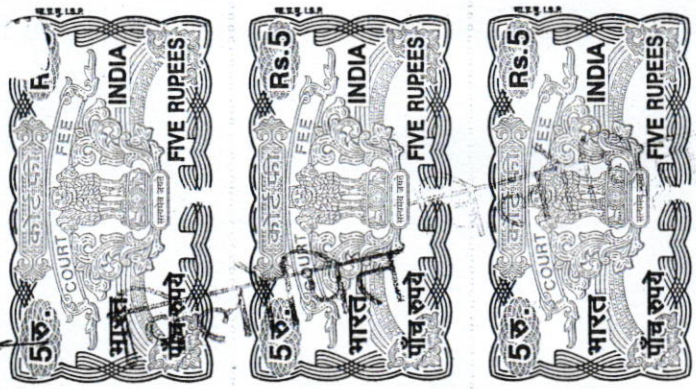

निगरानी 735-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर

राजकुमार पुत्र बाबू सिंह यादव निवासी–ग्राम अस्पतखेडी, तहसील मुगांवली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

प्रीतम सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह लोधी निवासी– ग्राम रूहाना, तहसील मुंगावली जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री .... को
द्वारा ....
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.02.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–19/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2000 द्वारा आवेदक के हित में विधिवत् रूप से भूमि का व्यवस्थापन किया गया था।

2– यहकि, आवेदक के हित में किये गये भूमि आवंटन आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में समयावधि में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की थी। बल्कि उसके द्वारा अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् एक अवधि बाह्य अपील धारा 5 के आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2015 से धारा 5 के आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर (23)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 735- एक- 15- जिला- अशोकनगर

राजकुमार विरूद्ध प्रीतम सिंह

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-03-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित अनावेदक की ओर से श्री बी0एस0 धाकड उपस्थित । 2- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/2012- 13/अपील में अवधि विधान की धारा 5 पर लिए गये अंतरिम निर्णय दिनांक 24- 02- 2015 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी । चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा दिनांक 27- 07- 2017 को अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति भी पेश की गयी है। ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा गया है। निगरानी इसी स्तर पर निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। 3- आवेदक अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम	

प्रकरण क्रमांक735- एक- 15- जिला- अशोकनगर

राजकुमार विरूद्ध प्रीतम सिंह

आदेश दिनांक 27-07-17 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किए जाने से अब इस निगरानी को आगे संचालित रखने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। परिणामस्वरूप यह निगरानी प्रकरण उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य